चुकी है । चार एफ० आई० आर० यहां दिल्ली में दर्ज हो चुकी हैं । कम से कम एक केस का तो मुझे मालूम है कि रिकार्ड डेसट्राय करने की कोशिश की गई लेकिन फिर भी पुलिस ने मालूम कर लिया । दूसरा एक और केस है । उसमें भी कुछ अफसरों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी । मुमकिन है कुछ और केसिस में रिकार्ड डेसट्राय करने की कोशिश की गई हो लेकिन सच्चाई सी० बी० आई० के इनवेस्टीगेटर ने फिर भी मालूम कर ली। अब गवर्नमेंट के पास सिवाय इसके कि अफसरों से उम्मीद की जाये कि वे सच्चाई से, ईमानदारी से काम करें, रिकार्डज को सुरक्षित रखें मेरी समझ में नहीं आता हमारे पास और उपाय क्या बाकी रह जाता है सिवाय इसके कि एक और आदेश इसके बारे में निकालें । लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं । उनका आलरेडी फर्ज है रिकार्ड सुरक्षित रखने का ।

श्री लक्ष्मण राव मानकर : डा० गोबडे की मृत्यु हुई नागपुर मैडीकल कालेज में । उनको हार्ट अटैक हुआ था । उनको वहां सर्जिकल वार्ड में रखा गया पुलिस के आर्डर से जब कि उनको इंटैंसिव केअर यूनिट में रखना चाहिए था । जो लोग एवीडेंस देने के लिए गए महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त कमीशन के सामने उनको देने नहीं दिया गया और उन्होंने कमीशन का बहिष्कार किया ? इस तरह की जो चीजें हैं इस सम्बन्ध में आप क्या करने वाले हैं ?

MR. SPEAKER: The hon. Member may please sit down. He has already answered.

SHORT NOTICE QUESTION

Film "KISSA KURSI KA"

3. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the film "Kissa Kursi Ka" was stolen from Government office;

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government thereon; and

(c) whether the film was burnt?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) to (c). The film "Kissa Kursi Ka" was forfeited to the Central Government by an order issued under rule 51(1) of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971 on 14-7-1975. Negatives and prints of this film were taken into custody and kept with the Films Division of the Ministry of I&B. Recently on request from the Film producer for the return of the prints, a preliminary enquiry was made in the Ministry of Information and Broadcasting which disclosed that the prints as well as the negatives were not traceable and foul play was suspected in their disappearance. On the request of the Ministry, the CBI registered a case on 13-4-77 under sections 120-B r/w 380 IPC and took up investigation. In the course of their investigation, empty cans along with labels indicating storage of rolls of this film in the cans were recovered following a search of the premises of Maruti factory at Gurgaon on 25-5-77. The available evidence points to the film having been destroyed by being burnt. Investigation is in the final stage.

श्री कंवरलाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बहुत ही महत्व का है और यह सम्बन्ध रखता है जो पावर हन्गरी और करप्ट पोलीटीशियन्स हैं जो जनता को दबा कर और किसी तरह भी कुर्सी पर बैठना चाहते थे, उस के बारे में यह फिल्म थी और यह पहली फिल्म है जो डी० आई० आर० में बन्द कर दी गई, लेकिन उस के बाद भी कुर्सी बची नहीं । तो मैं मंत्री

महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो फिल्म बन्द की स्क्रीनिंग के लिए वह मेरी सूचना के अनुसार मंत्री महोदय ने मिनिस्ट्री में बन्द की । तो क्या ग्रौबजेक्शन लगाये गये थे इस फिल्म के खिलाफ जिसकी वजह से उसकी स्क्रीनिंग बन्द की ?

दूसरी बात यह कि क्या यह सही है कि प्रोड्यूसर महाराज सुप्रीम कोर्ट में गये थे ग्रौर सुप्रीम कोर्ट ने यह ग्रादेश दिया सरकार को कि यह दो बार फिल्म दिखाई जाय ताकि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सके कि यह फिल्म ठीक है कि नहीं ? तो सरकार की तरफ से क्या जवाब ग्राया ?

श्री लालकृष्ण ग्रडवानी : पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह डी० ग्राई० ग्रार० में बन्द नहीं की गई। यह सिनेमाटोग्राफिक एक्ट जो है उसके तहत इस पिक्चर को बन्द किया गया। इसका फारफीचर किया गया डिफेंस ग्राफ इंडिया रूल्स के ग्रन्तर्गत ।

जहां तक दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है, यह बात सही है कि जब इसके प्रोड्यूसर सुप्रीम कोर्ट में गये तो उन्होंने जो ग्रनेक याचिकायें वहां पर प्रस्तुत की उनमें से एक यह भी थी कि यह कोर्ट ही स्वयं इस फिल्म को देखे ग्रौर फिर निर्णय करे । ग्रौर इस सुझाव को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किया ग्रौर सरकार को निर्देश दिया कि वह उन्हें यह फिल्म दिखाये ग्रौर उसकी तारीख भी तय हुई कि 17 नवम्बर, 1975 को फिल्म दिखाई जाएगी । सरकार ने स्वीकार भी किया । लेकिन एक सप्ताह पूर्व 11 नवम्बर को कोर्ट को सूचना दी गई सरकार की ग्रोर से कि उस फिल्म को प्राप्त करने में कुछ कठिनाई हो रही है । फिर उसके बाद एक, दो मौके ग्रौर दिये सुप्रीम कोर्ट ने उस फिल्म को ढूंढने के । लेकिन सरकार ने कोर्ट को सूचना दी कि इंटरनेशनल फिल्म फैस्टीवल हुग्रा था उसमें बहुत सारी फिल्स ग्राई थीं ग्रौर यह फिल्म उनके साथ मिल गई है इसलिए प्राप्त नहीं हो रही है । सुप्रीम कोर्ट ने फिर ग्रादेश दिया सरकार को कि जो उसका निगेटिव है उसके ग्राधार पर एक नई फिल्म तैयार करके ग्राप हमको दिखायें । थोड़े दिनों बाद उस पर भी सूचना सरकार की ग्रोर से भेजी गई कि निगेटिव भी नहीं मिल रहा है, वह भी गायब है ग्रौर इसलिये दिखाने में ग्रसमर्थ हैं । तो यह स्थिति रही जहां तक कोर्ट का सवाल है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : गवर्नमेंट ने क्या ग्राबजेक्शन किया ?

श्री लाल कृष्ण ग्रडवानी : सिनेमाटोग्राफिक एक्ट के ग्रन्तर्गत ग्रगर कोई फिल्म जिसके बारे में सरकार का यह मत है कि....

"It is not fit for public exhibition because it is against the interest of the security of the State, friendly relations with foreign States and public order and is likely to incite the commission of various offences."

तो यह जो धारा है सब-सेक्शन 1 ग्राफ 5—बी ग्राफ सिनेमाटोग्राफिक एक्ट ग्राफ 1952, इस धारा के ग्रधीन उन्होंने इस फिल्म को बंद कर दिया ।

श्री कंवर लाल गुप्त : सिक्योरिटी ग्राफ स्टेट तो इस फिल्म में नहीं था, लेकिन सिक्योरिटी ग्राफ सर्टेन पर्सन ग्रौर सर्टेन चेयर था । मैंने तो पूछा था, मेरे ख्याल में इससे भी एतराज किया था कि गांधी टोपी पहने दिखाई थी । ग्रब सी० बी० ग्राई इस पर इन्क्वायरी कर रही है । मेरी इन्फार्मेशन है कि इन्फार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री के कुछ ग्रफसरों से भी पूछताछ की गई है शुक्ला साहब ग्रौर मारूति के भी कुछ ग्रफसरों से सी० बी० ग्राई० ने इन्क्वायरी की है । मारुति के ग्रफ-

सरों ने यह मान लिया है कि शुक्ला साहब ने आदेश दिया था कि यह फिल्म दे दी जाये और उन्होंने यह भी मान लिया है कि यह मारुति की प्रेमिसेज में जलाई गई। यह चीज उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान में मान भी ली है। मि० गांधी उस समय मौजूद थे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस फिल्म के प्रोड्यूसर श्री अमृत नाहटा का कोई पत्र आया है? यदि आया है तो उसके कंटेंट्स क्या हैं और क्या जवाब दिया?

जिस तरह से इस पार्टी ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पार्टीजन एटीट्यूड लिया और पोलिटिकल कंसीडरेशन की वजह से आंधी पिक्चर को खत्म किया, किशोर कुमार के गाने खत्म कर दिये, तो यह सरकार अब इस तरह नहीं करेगी, तो आप की सरकार की पोलिटिकल पिक्चर के बारे में सेंसर की क्या नीति है और पोलिटिकल इश्यू पर लोगों को एजूकेट करने के बारे में क्या पालिसी है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं पहले कह चुका हूं कि जितनी जांच अब तक हुई है, उससे ऐसा लगता है कि फिल्म को जलाकर खत्म कर दिया गया है। सी० बी० आई० अपनी इन्वेस्टीगेशन थोरो कर रही है, अच्छी तरह से कर रही है। कोई अधिकारी कहीं का भी हो, चाहे मारुति का कर्मचारी हो, सबसे पूरी जांच की जा रही है और इस समय जांच अपने अंतिम चरण पर है। मैं इससे अधिक इस समय कुछ नहीं कह सकता।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपकी पालिसी क्या है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जहां तक नीति का सवाल है, नीति पर चर्चा करने का और भी अवसर आयेगा। मैं इतना कह सकता हूं कि अब तक राजनीतिक कारणों से जिनको कहीं पर दिक्कत हो रही है, तो आगे राजनीतिक कारणों से कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंसरशिप की ओवर-आल पालिसी पर रिव्यू किया जा रहा है और ओवरआल गाइड लाइन्स पर रिव्यू किया जा रहा है।

श्री हुकमचन्द कछवाय : श्री नाहटा ने जो पत्र दिया, उसका क्या हुआ?

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, this is a very serious matter. The public are terribly disturbed about this offence and I want the hon. Minister to give some information to the House from which the public could be assured that the investigation is proceeding along the right line and it will be honestly and vigorously pursued.

MR. SPEAKER: He has already given the answer. He has said that they are doing it very satisfactorily *(Interruptions)*.

SHRI RAM JETHMALANI: I am only looking for some evidence of what he is saying.

SHRI L. K. ADVANI: So far as the evidence is concerned, this is at the final stage.... *(Interruptions)*. I can submit for his information that the tins containing with film were found in a pond 15 kilometres away from the place. From this you can see how thorough the CBI investigation is going on and how well they are doing it.

डा० बलदेव प्रकाश : मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने जवाब दिया कि जो नेगेटिव्ज और प्रिंट्स सरकार की कस्टडी में थे, वे भी गायब हो गये हैं। क्या उसके बारे में कोई केस दर्ज किया गया है, क्या इस सम्बन्ध में इनवेस्टीगेशन हो रहा है और क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी मिली है?

श्री लाल कृष्ण आडवानी : मैंने जो जवाब दिया है, वह नेगेटिव्ज और प्रिंट्स दोनों पर एप्लाई करता है ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Setting up of a Commercial Broadcasting Station at Cochin

*143. SHRI V. M. SUDHEERAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government propose to increase the number of commercial broadcasting centres in Kerala State; and

(b) if so, whether Government have a proposal to set up a commercial broadcasting station at Cochin?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Lease of Land at Budge Budge to M/s S. K. Oil & Co. by Port Trust, Calcutta

*145. SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Calcutta Port Trust Authority leased out a land at Budge Budge to M/s. S. K. Oil and Co. on lesser rate of rent than the scheduled rate resulting in a loss of Rs. 1 lakh per annum; and

(b) if so, the reasons thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The Calcutta Port Trust have reported that the land in question was leased at a concessional rate admissible under the Schedule.

(b) Does not arise.

जापानी कम्पनियों के सहयोग से पावर टिलर का निर्माण

*147. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मित्सविशी ट्रैक्टर और टिलर्ज लिमिटेड, बंगलौर एक जापानी कम्पनी के सहयोग से पावर टिलर का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ठेके की शर्तें क्या हैं और कम्पनी को लाइसेंस दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार पावर टिलरों के मूल्य में कमी लाने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) :

(क) जी, हां । मे० वी०एस०टी० टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड, बंगलौर, टोकियो जापान के मे० मित्सुविशी हैवी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, के सहयोग से शक्तिचालित हलों का निर्माण कर रही है ।

(ख) दोनों फर्मों के बीच सहयोग निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत किया गया था :—

1. रायल्टी : 3% शक्तिचालित हलों और फालतू पुर्जों पर।

2. तकनीकी जानकारी की फीस : 2,08,550 रुपये

3. जापानी कम्पनी द्वारा 15 लाख रुपये तक का निवेश आंशिक रूप से संयंत्र और मशीनों का संभरण करके और आंशिक रूप से जानकारी की फीस निवेश करके ।